

राजस्थान सरकार
कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अजमेर

Email: ccf.ajmr.forest@rajasthan.gov.in, ccf.ajmr.forest@gmail.com Tel no.: 0145-2426740

क्रमांक एफ 11(90अ)एफसीए/मुवस/2022

दिनांक:-

कार्य प्रारम्भ करने की अंतरिम स्वीकृति

जिला अजमेर में प्रस्ताव संख्या FP/RJPIPELINE/147391/2021 के लिए Diversion of 3.4384 ha. forest land for Laying of Under ground of 8"/12" Dia Carbon Steel Gas Pipeline Along the NH-8 Road Within the Existing Row from CGS Daulat Khera (CGS) to Beawar on LHS (Length 35.20 KM) in District-Ajmer(Rajasthan) by Indraprastha Gas Limited. FP/RJ/PIPELINE/147391/2021 के निर्माण हेतु 3.4384 है. वनभूमि के प्रत्यावर्तन की शर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर के पत्रांक 8बी-राज005/2022-JPR दिनांक 21.02.2022 द्वारा जारी की गई थी। उक्त स्वीकृति की पालना में उप वन संरक्षक, अजमेर के पत्र क्रमांक एफ14(0)एफसीए/उपसं/2022-23/10109 दिनांक 02.11.2022 अनुसार प्रमाणित किया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, एन.पी.वी. हेतु आवश्यक राशि, जिला कल्केटर द्वारा जारी एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट जमा करा दिया है, तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 तथा सैद्धान्तिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा लीनियर प्रोजेक्ट हेतु जारी दिशा-निर्देश क्रमांक 11-306/2014-एफसी दिनांक 28.08.2015 की अनुपालना में भारत सरकार द्वारा जारी उपरोक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की समस्त शर्तों के अध्वधीन प्रस्तावित क्षेत्र में कार्य प्रारम्भ करने की अंतरिम स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

1. यह स्वीकृति जारी करने की तिथि से 1 वर्ष के लिए मान्य होगी।
2. सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर यह अंतरिम स्वीकृति प्रत्याहरित की जा सकती है एवं प्रयोक्ता अभिकरण के विरुद्ध वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अंतरिम स्वीकृति अनुसार 1 वर्ष की अवधि में कार्य अपूर्ण रहने की स्थिति में समय रहते अभिवृद्धि हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सम्बन्धित उप वन संरक्षक के निर्देशानुसार/पर्यवेक्षण में कार्य किया जायेगा।

(विजय एन.)

मुख्य वन संरक्षक,
अजमेर।

क्रमांक एफ 11(90 अ)एफसीए/मुवस/2022 3845-53

दिनांक:- 15/11/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक (एफसी डिवीजन), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110001
2. उप महानिरीक्षक/क्षेत्रीय अधिकारी, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर ए 218 & बी 216 अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004
3. प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

Carry forward.....

4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF), अरण्य भवन, जयपुर।
5. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफ.सी.ए., अरण्य भवन, जयपुर।
- ✓ 6. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (IT) जयपुर को दी जाकर निवेदन है कि इस स्वीकृति की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।
7. उप वन संरक्षक, अजमेर को दी जाकर निर्देशित किया जाता है कि समय-समय पर निरीक्षण कर भारत सरकार द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तों की पालना सुनिश्चित करें।
8. Vice president, Indraprastha Gas Limited, GA Head-Ajmer, Pali, Rajasmand, IGL Bhawan Plot No. 4, Community Centre, R.K. Puram, Sector -9, New Delhi-110022
9. रक्षित पत्रावली।


(विजय एन.)
मुख्य वन संरक्षक,
अजमेर।